ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-2* Issue-5* June-2017
Innovation The Research Concept

स्टार्ट अप इण्डिया

सारांश

भारत ने 2050 तक विश्व की एक महाशक्ति बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अनुसार इस लक्ष्य को पाने के लिए भारत के पास 3 डीज यानी डिमांड, डेमोग्रैफी और डेमोक्रेसी अर्थात मांग, जनसांख्यिकी और लोकतंत्र की बेजोड़ शक्तियां हैं। विश्व के सबसे युवा देशों में से एक होने और उभरते हुए सबसे बड़े बाजारों में से एक होने के नाते, भारत न केवल अपने नागरिकों के लिए, बल्कि विश्वभर के लिए भी अवसरों की भूमि है। भारत की इन शक्तियों के अनुकूलतम इस्तेमाल के लिए यह महत्वपूर्ण है कि विकास का ऐसा मॉडल अपनाया जाये, जो रोजगार के अवसर पैदा करने वाला हो। विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार विकास की उच्च संभावनाएं हैं अतः ऐसा क्षेत्र है, जो रोजगार सृजन के जरिए, खेती से परिवर्तित श्रमिकों को अपने में समाने की क्षमता रखता है और युवाओं को नए अवसर प्रदान करता है।

मुख्य शब्द : डिमांड, डेमोग्रैफी, डेमोक्रैसी, विनिर्माण, वैश्विक, प्रौद्योगिकी उन्नयन, ईओडीबी, द डूइंग बिजनेस

आनन्द कुमार सिंह
असिस्टेन्ट प्रोफेसर,
वाणिज्य विभाग,
काशी नरेश राजकीय पी0जी0 कालेज,
ज्ञानपुर, भदोही

प्रस्तावना

वर्तमान सरकार ने मई 2014 में सत्ता में आने के बाद जिन क्षेत्रों को प्राथमिक ध्यान केन्द्रित करने के लिए चुना था, उनमें भारत के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना भी प्रमुख था, ताकि सेवा क्षेत्र के नेतृत्व वाली रोजगार रहित विकास पद्धति में सुधार लाया जा सके, रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकें और भारत को विनिर्माण के एक केन्द्र के रूप में रूपांतरित किया जा सके और इसके लिए 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। 'मेक इन इंडिया' के लिए चुने गए 25 क्षेत्रों का लक्ष्य घरेलू और वैश्विक कंपनियों के जरिए निवेश आकर्षित करना, उत्पादन बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक सुनिश्चित करते हुए और विकास का एक स्थायी पर्यावरण अनुकूल मॉडल स्थापित करते हुए रोजगार एवं कौशल के नए अवसर पैदा करना था। विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए व्यापक निवेश की आवश्यकता है ताकि प्रौद्योगिकी उन्नयन, हरित क्षेत्र परियोजनाओं, नई उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके। निवेश आकर्षित करने और विनिर्माण क्षेत्र को गति प्रदान करने के लिए यह जरूरी है कि भारत में नियम एवं प्रक्रियाएं सरल और व्यापार अनुकूल हों। विश्व बैंक समूह की एक रिपोर्ट, 'द डूइंग बिजनेस' (डीबी), में वैश्विक संदर्भ में भारत में व्यापार वातावरण की वास्तविक पड़ताल की गई है। रिपोर्ट में व्यापार करने में सुगमता (इज ऑफ डूइंग बिजनेस–ईओडीबी) की रैंकिंग शामिल की गई है, जिसमें व्यापार आकर्षकता और निवेश के अवसरों को प्रोत्साहित करने के संदर्भ में 189 देशों की तुलना प्रकाशित की गई है। विशेष रूप से 'मेक इन इंडिया' और आम तौर पर विनिर्माण क्षेत्र की सफलता भारत में प्रचलित व्यापार संवेदनाओं पर निर्भर है, जिससे भारत के लिए ईओडीबी रैंकिंग महत्वपूर्ण हो जाती है।

हाल के दिनों में नए व्यापारिक निवेश और नई परियोजनाओं में स्टार्ट अप्स यानी नए कारोबारियों को आकर्षित करने के लिए प्रगतिशील कदम उठाए गए हैं। पर्यावरण एवं वन संबंधी मंजूरियां प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ की गई है और निवेशकों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध प्रकोष्ठ बनाए गए हैं। व्यापार प्रोत्साहन और सरलीकरण के लिए 'इन्वेस्ट इंडिया' नाम का आधिकारिक पोर्टल बनाया गया है। ईबिज पोर्टल सरकार से लेकर व्यापार सेवाओं तक यानी जी2बी (गवर्नमेंट टू बिजनेस) से संबंधित सभी सवालों के उत्तर एक ही स्थान पर प्रदान करता है। यह पोर्टल व्यापार के लिए अपेक्षित लाइसेंस, मंजूरियां और नियामक अपेक्षाएं पूरी करने में मदद प्रदान करेगा। एक श्रम सुविधा पोर्टल बनाया गया है, जो श्रमिक पहचान संख्या (एलआईएन) के पंजीकरण के लिए सरलीकृत रूप में ऑनलाइन पोर्टल

सुविधा प्रदान करता है। इस पोर्टल का लक्ष्य व्यापार विनियमों की जानकारी सरल ढ़ंग से प्रदान करना और व्यापार निरीक्षणों में पारदर्शिता लाना है। महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की गई है, जो विनिर्माण क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने में बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं, जैसे ऐरोस्पेस और रक्षा, ऑटोमोबाइल और ऑटोमोबाइल हिस्सेपुर्जे, रसायन और पेट्रोरसायन, निर्माण उपरण, खाद्य प्रसंस्करण, बुनियादी ढांचा विकास, आईटी और इलेक्ट्रोनिक्स, फार्मास्युटिकल्स, मशीनरी, वस्त्र और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, देश में अधिक विदेशी पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिए, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) संबंधी सुधार और उदारीकरण के उपाय किए गए हैं।

बिजली के कनेक्शन की मंजूरी प्रक्रिया को सुचारू बनाते हुए इसे प्राप्त करना आसान कर दिया गया है, जिसका उल्लेख 'द डूइंग बिजनेस' (डीबी) रिपोर्ट (2016) में भी किया गया है। यह प्रगति भारत को दक्षिण एशिया क्षेत्र में उन विषयों में अग्रणी स्थान प्रदान करती है, जिनका आंकलन 'द डूइंग बिजनेस' रिपोर्ट में किया गया है। पंजीकरण–पूर्व और पंजीकरण संबंधी औपचारिकताओं (जैसे पब्लिकेशन, नोटिफिकेशन, निरीक्षण और अन्य अपेक्षाएं) का अनुपालन करते हुए कोई भी व्यापार प्रारंभ करने की प्रक्रिया सरल बनाने के उपाय किए जा रहे हैं। छोटे उद्यमों को फलने–फूलने में सक्षम बनाने के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता समाप्त करने/कम करने के उपाय किए जा रहे हैं। किसी कंपनी के दिवालिया होने या दिवाला निकलने जैसे मामलो से निपटने के लिए दिवाला कानून सुधार समिति (बीएलआरसी) की स्थापना एक रचनात्मक कदम है। अन्य उपाय भी किए जा रहे हैं, जैसे प्रारूपों को सरल बनाना, असंख्य दस्तावेज भरने की आवश्यकता कम करना, 100 से ज्यादा अप्रचलित कानूनों को निरस्त करना, औद्योगिक लाइसेंसों के कार्यान्वयन के लिए विस्तारित वैधता, आयात एवं निर्यात की प्रक्रियाओं को सरल बनाना, अवरूद्ध परियोजनाओं का तेजी से पता लगाने की व्यवस्था की जा रही है।

केन्द्र के स्तर पर किए गए इन उपायों के अनुपूरक उपाय राज्यों के स्तर पर किए जाने की आवश्यकता है। व्यापार आकर्षित करने के लिए विभिन्न राज्यों में नए और मौलिक उपाए किए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में राज्य कर सुधारों का कार्यान्वयन कर रहे हैं। राज्यों ने ऑनलाइन वैट भुगतान, वैट विवरणियों की ई–फाइलिंग, जैसी सुविधाएं प्रदान की हैं। अधिकतर राज्यों ने बिजली के कनेक्शन, वैट पंजीकरण, भवन योजना और निर्माण परमिट जैसे कार्यों के लिए स्पष्ट समय–सीमा तय की है। राज्य जी2बी (यानी सरकार से व्यापार) सेवाओं एवं सुविधाओं के लिए एक प्रतिबद्ध एकल विंडो कायम करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं।

अनेक राज्यों ने पर्यावरण मंजूरी ऑनलाइन देना प्रांरभ कर दिया है और वे भूमि–रिकॉर्ड भी ऑनलाइन उपलब्ध करा रहे हैं ताकि अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। अनेक राज्यों में वैश्विक व्यापार सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि वे अपने यहां व्यापार की संभावनाओं को प्रदर्शित कर सके और तद्नुरूप निवेश आकर्षित किया जा सके। गुजरात में जिओग्राफिक इन्फोर्मेशन सिस्टम–जीआईएस यानी भूगोलिक सूचना प्रणाली पर आधारित भूमि पहचान प्रणाली, मुम्बई और दिल्ली के उच्च न्यायालयों में वाणिज्यिक पीठों की स्थापना, पश्चिम बंगाल में निर्माण परमिटों के लिए ऑनलाइन आवेदन, करों का ई–भुगतान, कर्नाटक में पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने, उसका नवीकरण करने और उसमें संशोधन करने तथा वार्षिक विवरणियां दाखिल करने, आदि कार्यों के लिए ई–कार्मिक की स्थापना, उद्योग मित्र, ई.बिज कर्नाटक, व्यापार सुविधाओं के लिए ऑनलाइन पोर्टल, जैसे कुछ उपाय राज्यों के स्तर पर किए गए हैं।

भारत में व्यापार को सक्षम बनाने के मार्ग में आने वाली चुनौतियां और समस्याएं

व्यापार वातावरण को सक्षम बनाने के प्रयासों के बावजूद, अभी भी कुछ समस्याएं बनी हुई हैं।

भूमि अधिग्रहण में स्पष्टता और पारदर्शिता का अभाव है। भूमि पंजीकरण की प्रक्रिया समय खपाऊ और जटिल है। कुछ राज्य सरकारों ने अपने भूमि बैंक बनाए हैं और औद्योगिक प्रयोजनों के लिए भूमि पूल तैयार किए हैं, लेकिन कुछ अन्य राज्य सरकारों के लिए कृषि भूमि, जनजातीय खेती भूमि और विस्थापितों का पुनर्वास जैसे मुद्दों के कारण भूमि अधिग्रहण एक समस्या बना हुआ है।

करों की अधिकताएं और जटिल कर कानून कर–संरचना में पारदर्शिता के अभाव को उजागर करते हैं। कर–व्यवस्था में अनिश्चितता व्यापार के लिए नकारात्मक वातावरण का सर्जन करती है। पूर्वप्रभाव से कर लगाने के हाल के कुछ मामलों ने निवेशकों की भावनाओं को ठेस पहुँचायी है और इससे निवेशक भाग सकते हैं। इन समस्याओं का समाधान करने की आवश्यकता है।

भारत में व्यापार के विफल मॉडलों के मामलों में दिवालियापन के समाधान में लगने वाला समय और लागत तथा उनकी सहायता के लिए कानूनी प्रणाली वैश्विक मानदंडों से बहुत पीछे है। भारत में दिवालियापन के समाधान में लगने वाला औसत समय 4.3 वर्ष है, जबकि इसकी तुलना में दक्षिण एशिया के लिए यह औसत बहुत कम (2.6 वर्ष) है। भारत के लिए बहाली की दर (डालर पर सेंट) 25.7 है, जबकि दक्षिण एशिया के लिए यह 31.8 है।

वास्तविक पड़ताल

नीति–निर्माताओं द्वारा इन समस्याओं के समाधान के प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं, परन्तु ये बाधाएं भारत में विनिर्माण क्षेत्र, व्यापार/उद्यमितापूर्ण उद्यमों और नए निवेश आकर्षित करने की दिशा में अवमंदक के रूप में काम कर रही हैं। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में ईओडीबी रैंकिंग को एक प्रगति रिपोर्ट के रूप में देखा जा सकता है, जो विद्यमान खामियों वाले क्षेत्रों और उन उपलब्धियों की ओर इशारा करती है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था ने हाल के वर्षों में व्यापार अनुकूल वातावरण के सृजन में हासिल की हैं।

ईओडीबी विभिन्न संकेतकों का मिलाजुला रूप है, जैसे किसी व्यापार का शुभारंभ, निर्माण परमिटों से निपटना, बिजली प्राप्त करना, संपत्ति पंजीकरण कराना, ऋण प्राप्त करना, अल्पसंख्यक निवेशकों को संरक्षा प्रदान करना, करों का भुगतान, सीमाओं के पार व्यापार करना, अनुबंधों का प्रवर्तन, श्रम बाजार नियमन और दिवालियापन का समाधान।

भारत की ईओडीबी रैंकिंग 189 में से 130 है। 2015 की रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग 134 थी, जिसमें कुछ सुधार दर्ज हुआ है। 10 संकेतकों में से सबसे अधिक सुधार 'विद्युत प्राप्त करने' के मामले में हुआ, जिसमें भारत डूइंग बिजनेस (डीबी) रिपोर्ट 2015 के 99वें रैंक की तुलना में 2016 की रिपोर्ट में 29 रैंकों के सुधार के साथ डीबी रैंक 70 पर पहुँच गया। 'किसी व्यापार की शुरूआत' के मद में भारत की डीबी रैंकिंग में 9 पायदान का सुधार हुआ। इसी प्रकार 'निर्माण परमिट से निपटना' संकेतक में भी मामूली वृद्धि हुई। 'ऋण प्राप्त करना' और 'कर अदा करना' के संकेतकों में भारत की रैंकिंग बिगड़ी है जबकि शेष पांच संकेतकों की स्थिति में पिछले वर्ष की तुलना में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।

कुल मिलाकर, भारत 'ऋण प्राप्त करना' 'विद्युत प्राप्त करना', और 'अल्पसंख्यक निवेशकों को संरक्षा प्रदान करना' जैसे संकेतकों (जिनमें डीबी रैंकिंग 100 से नीचे है) में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है।

समस्या क्षेत्रों (जिनमें डीबी रैंकिंग 150 से अधिक है) में 'निर्माण परमिटों से निपटना', 'व्यापार का शुभारंभ करना', 'कर भुगतान करना' और 'अनुबंधों का प्रवर्तन' शामिल हैं

आगे का रास्ता

व्यापार को सक्षम बनाना और विनिर्माण क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए निवेश के अनुकूल वातावरण पैदा करना, भारत की प्राथमिकता है। व्यापार करने के मानकों में सुधारों से 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी और यह एक सहकारितापूर्ण संघवाद के जरिए संभव को पायेगा, जिसमें राज्यों के बीच परस्पर और भारत के राज्यों तथा केन्द्र के बीच सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता पड़ेगी।

माल एवं सेवा कर (जीएसटी), एक ऐसा प्रयास है, जिसका लक्ष्य केन्द्रीय और राज्य करों की विविधता को एक संयुक्त कर प्रणाली में आबद्ध करना है, जिससे दोहने कराधान से बचने में मदद मिलेगी और यह भारत की परोक्ष कर–प्रणाली के लिए पास पलट देने वाला प्रमुख कदम होगा। इससे स्पष्टता आयेगी और निवेशकों का मनोबल बढ़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि पूर्वव्यापी प्रभाव से कराधान भारत के लिए अब सिर्फ अतीत की बात है। भूमि बैंकों की स्थापना (जिससे संबंधित जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध करायी जायेगी), अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ औद्योगिकरण के लिए पहचान किए गए जोन, बुनियादी ढांचा, विद्युत आपूर्ति, और उन विक्रेताओं को, जिनकी भूमि खरीदी जा रही है, मुआवजा प्रदान करने के लिए बाजार आधारित भूमि मूल्यन प्रणाली से भूमि अधिग्रहण, व्यापार स्थापना और संपत्ति पंजीकरण के काम में तेजी आयेगी। स्टार्ट अप इंडिया कार्यक्रम से युवाओं को स्वयं के उद्यम स्थापित करने के अवसर मिलेंगे।

निष्कर्ष

स्थिर कर व्यवस्था, दीर्घावधि नीतियों के साथ संतुलित शासन व्यापार के फलने–फूलने के लिए अनिवार्य हैं। प्रयास किए जा रहे हैं, परन्तु परिणाम प्राप्त करने की प्रक्रिया में एक गर्भावधि शामिल है। नियमों के सरलीकरण और व्यापार के लिए सुचारू वातावरण प्रदान करने के वांछित परिणाम आने में कुछ वक्त लगेगा, और तभी इन नीति परिवर्तनों के परिणामस्वरूप ईओडीबी के सभी संकेतकों में सुधार दिखाई देगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *योजना।*
2. *दैनिक जागरण।*
3. *इण्डिया टुडे।*
4. *रोजगार समाचार।*
5. *हिन्दुस्तान टाइम्स।*